न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी— श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 — 32 / 2018 / प्रार्थना पत्र	तारीख दायर 12.02.2018	तारीख फैसला 28.02.2018

उनवान

1— सुशीला पत्नि हंसराज जाट निवासी शिवपुरा तह0 फूलियाकलां
2— पिंकी पत्नि प्रहलाद जाट निवासी शिवपुरा तह0 फूलियाकलां
3— सीता पत्नि रतनलाल जाट निवासी शिवपुरा तह0 फूलियाकलां

— प्रार्थीगण

बनाम

1— रामेश्वर पिता देबी गुर्जर निवासी रलायता तह0 फूलियाकलां
2— शिवबहादुर सिंह पिता भंवरसिंह राजपूत नि0 रलायता तह0 फूलियाकलां
3— कालू पिता पॉचु कुम्हार निवासी गैगवा तह0 फूलियाकलां
4— प्रहलाद पिता पॉचु कुम्हार निवासी गैगवा तह0 फूलियाकलां
5— सायरी पत्नि पॉचु कुम्हार निवासी गैगवा तह0 फूलियाकलां

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा — 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 400 आ0न0 1334 रकबा 0.27 है0, आ0न0 1336 रकबा 1.11 है0, आ0न0 1337 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1341 रकबा 1.36 है0 आराजी कुल किता 4 रकबा 2.84 है0 भूमि स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 5 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे

वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.02.2018 को विपक्षी संख्या अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम रलायता पटवार मण्डल रलायता संवत 2071 से 74 के खाता संख्या 400 आ0न0 1334 रकबा 0.27 है0, आ0न0 1336 रकबा 1.11 है0, आ0न0 1337 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1341 रकबा 1.36 है0 आराजी कुल किता 4 रकबा 2.84 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 400 आ0न0 1334 रकबा 0.27 है0, आ0न0 1336 रकबा 1.11 है0, आ0न0 1337 रकबा 0.10 है0, आ0न0 1341 रकबा 1.36 है0 आराजी कुल किता 4 रकबा 2.84 है0 के प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1200/– (अक्षरे एक हजार/दो सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि

मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28.02.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ,जिला-भीलवाड़ा